।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 1536/12-1 ,गोपेश्वर, दिनांक 21/10 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थराली।

विषयः– **सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयीः–

1– प्रस्ताव में वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र प्रस्तावित मोटर मार्ग सिमली मार्ग के किस किमी0 से आरम्भ होगा का उल्लेख नही किया गया है, तथा पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति आदेश भी वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करे।

2–बार चार्ट में संकेत तालिका के अनुसार रंग नही भरा गया है तथा बार चार्ट में पूर्व में निर्मित मार्ग का नाम भी उल्लेख नही किया गया है।

3– वैकल्पिक मार्ग में पड़ने वाले वृक्षो की सूची भी संलग्न करे।

4– वास्तविक रूप से काटे जाने वाले प्रपत्र भी प्रस्ताव में संलग्न नही किये गये है।

5– लैण्ड शैड्यल सिविल व वन पंचायत में खसरा नं0 सही अंकित प्रतीत नही होता है।

6– मलवा निस्तारण योजना में मक डम्पिंग स्थल का Engg. Drawing जैसे Plan, elevation and side view संलग्न नही किया गया है तथा सड़क निर्माण हेतु अधिगृहित भूमि 7 मी0 चौड़ाई में प्रस्तावित है, परन्तु आप द्वारा मलवा निस्तारण हेतु मक डम्पिंग स्थल की क्षमता 3.50 मी चौड़ाई से उत्सर्जित मलवे हेतु किया गया है। 3.50 मी0 से अधिक चौड़ाई में कटिंग करने पर उत्सर्जित मलवा चयनित मक यार्ड की क्षमता से अधिक हो जाएगा, क्षमता से अधिक मलवा मक डम्पिंग यार्ड से बाहर गिरने पर जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण को खतरा होगा, इसलिए वास्तविक मोटर मार्ग के कटिंग के अनुसार ही मक डम्पिंग स्थल का चयन करे।

अतः प्रस्ताव इस आशय से लौटाया जा रहा है कि उपरोक्त कमियो के निराकरण एवं इसके अतिरिक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्ग दर्शिका के अनुसार प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रपत्र में प्रारूप सं0 भी अंकित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– प्रस्ताव की प्रतियां।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner